"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2009—कार्तिक 29, शक 1931

भाग 3 (1)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 16th November 2009

Short Tender Notice

G.B. 4/Machine purchase (7) Rotary Numbering/09-10/911.—Sealed tender's are invited for the purchase of Rotary Numbering Machine to be used in A Web Offset Machine. The details and quantity of numbering machines will be purchased as given below :-

S. No.	Name of Machine	Description	Quantity
1.	Rotary Numbering Machines for Ajit web offset.	Zero sinkable, steel body Vertical 7 digits (Leibinger).	15 Nos.

Tender must be reach in this office with sample of Numbering machine on up to 1-12-2009 at 3 p.m. Tender will be opened on same day at 4 p.m. in presence of Tenderer's and their authorised representative. Tenderer will have to submit tender deposit of Rs. 5,000.00 in shape of F. D. R/C. D. R. /D. D. of Nationalised Bank in favour of Director Govt. Printing & Stationery, C. G. Raipur. Tender submitted without earnest money will not be considered.

Terms of the Tender

1. Tenderer will have to submit said sample of Numbering machine along with tender.
2. The tenderer should be authorised dealer of Leibinger Co. (Paul Leibinger Gmb H & Co. KG. Daimlerstr. 14. D-78532 Tuttlingen). The authorisation letter should be submitted with tender form.
3. Rates of the numbering machine should be quoted with all taxes FOR destination Govt. Regional press Rajnandgaon.
4. The successful tenderer will have to execute agreement and submit the security deposit of 5% cost of numbering machine's.
5. Payment of supplied machine only will be made when machine is found in good and working condition.
6. Tenderer will have to supply the machine within prescribed period mentioned in supply order.
7. If tenderer is failed to supply the said machine his earnest money and security deposit will be forfeited.
8. No counter terms will be accepted.
9. Director is not bound to accept lowest rates. He can divide the supply order between two or more tenderer.
10. Placement of tender and submission of earnest money mean's tendered has accepted all the terms and condition of this tender.
11. Director can relax any term and condition of this tender partly or wholly in the financial interest of Government.

NIDHI CHHIBBER
Director,
Govt. Printing & Stationery.
Chhattisgarh Raipur.

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 11 नवम्बर 2009

प्ररूप-4
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्रमांक / 1774/प्र.3/लो. न्यास/अविअ/2009.— यत: कि डॉ. धरमचंद वैद (जैन) निवासी एस. एम. 3, पद्मनाभपुर, दुर्ग, तहसील दुर्ग ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 16-11-2009 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री ऋषभ देव जैन श्वेताम्बर मंदिर एवं जिनदत्त सूरी दादाबाड़ी ट्रस्ट, ऋषभ नगर, दुर्ग (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	नगद 22,500/-, बैंक आफ महाराष्ट्र में 1500/-
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

दुर्ग, दिनांक 11 नवम्बर 2009

प्ररूप-4

[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्रमांक /1774/प्र.3/लो. न्यास/अविअ/2009.—यतः कि श्री ज्ञानचंद जैन पुत्र स्व. बी. एल. जैन, निवासी 52-ए/ मार्केट सेक्टर-10 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 16-11-2009 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	रोटरी चेरीटेबल ट्रस्ट, पता प्लाट नंबर 13 से. ए. ओ. बिल्डिंग, सिविक सेंटर भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	निरंक
3.	अचल संपत्ति	भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि 8000 वर्गफुट प्लाट नंबर-13 भिलाई (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 11 नवम्बर 2009

प्ररूप-4
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्रमांक /1774/प्र.3/लो. न्यास/अविअ/2009.— यत: कि श्री किशनलाल, छाजेड निवासी छाजेड सदन, एल/234 पद्मनाभपुर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 16-11-2009 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	श्री कुशल पद्मावती सेवा संस्थान, छाजेड सदन, एल/234, पद्मनाभपुर, दुर्ग (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	नगद 21,111/-रुपये
3.	अचल संपत्ति	निरंक

श्रुति सिंह,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

आदेश /क्र. /मा. चि./639.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित बीट एक्स हेमर परिक्षेत्राधिकारी लोरमी को कार्यालय चालन क्रमांक 1718 दिनांक 20-9-2008 द्वारा जोगीपुर बीट हेतु जारी किया गया था. परिक्षेत्राधिकारी लोरमी ने अपने पत्र क्रमांक 1336 दिनांक 25-11-2008 से इस कार्यालय को सूचित किया है कि वनरक्षक श्री सैय्यद गफूर अली परिसर जोगीपुर से जंगल गश्त के उपरांत अस्थायी रोपणी सांवतपुर में रात्रि मुकाम के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया, खोजबीन के बाद गुमशुदा हेमर नहीं मिला, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट दिनांक 25-11-2008 को पुलिस चौकी जूनापारा, थाना तखतपुर में दर्ज करायी गयी है.

B P
33

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हेमर को स्टॉक पंजी से अपलेखित किया जाता है.

हेमर की कीमत रुपये 400/- (चार सौ रुपये) श्री सैय्यद गफूर अली, वनरक्षक से वसूल करने का आदेश दिया जाता है तथा बीट हेमर जैसे महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित नहीं रखने के कारण असावधानी बरतने हेतु श्री सैय्यद गफूर अली को चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करें, इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त हेमर को अपने पास अनाधिकृत रूप से रखने या उपयोग में लाते पाया जावेगा, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एस. डी. बड़गैया,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 30 अक्टूबर 2009

संशोधित आदेश

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/09/682.— कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश क्र./उपकां/परिसमापन/08/478 दिनांक 02 जुलाई 2008 में आंशिक संशोधन करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना-क्रमांक/एफ-7/सह./2436 रायपुर दिनांक 13-06-01 द्वारा मुझमें वैष्टित है की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर (छ. ग.) वर्तमान में पदस्थ श्री टी. ए. खान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री आर. डी. कुल्हारा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को जिला वृक्ष सहकारी संघ मर्या., कांकेर, पं. क्र.-451 दिनांक 20-02-01 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 30-10-09 को जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.